न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 15/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/38

प्रार्थीः— **बनाम** **अप्रार्थीगण :—**

विकास अधिकारी, पचांयत समिति रानी
जिला पाली

1. सरपंच ग्राम पंचायत रानीकलां
2. सोहनलाल/हरिराम साटिया निवासी रानीकलां तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक :— 18.6.2024

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 25.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन सरपंच रानीकलां ने नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया। नियम 157(1) के तहत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकान का ही इस नियम के अन्तर्गत पट्टा जारी किया जा सकता है। साथ ही जैर निगरारी भूखण्ड पर वर्तमान में कोई पक्का या कच्चा झोपडा/मकान नहीं बना हुआ है एवं उक्त भूखण्ड पर किसी का रहवॉस भी नहीं है। खाली पडत भूमि पर नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। मिसल में दर्ज आदेशिकाए कम्प्युटर से निर्धारित फॉरमेट में तैयार की है, जिसमें खाली जगह रखकर नाम भरे है। कही कॉलम रिक्त है तो कही दिनांक रिक्त है। अतः ऐसे निर्धारित फॉरमेट के आधार पर की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही विधिविरूद्ध प्रतीत होती है। जांच पॅत्रावलियों से भी यह स्पष्ट होता है कि सारी मिसल कार्यवाही एक ही दिन में तैयार कर आदेशिकाओं में आगे दिनांक अंकित कर खाली जगह भरी गयी। न तो मौका देखा गया और न ही आपत्ति ईश्तहार पर कोई क्रमांक अंकित है। निरीक्षणकर्ता एवं बयानकर्ता की वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नही की गई

अति. जिला कलक्टर, पाली

है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरूद्ध जारी किया है जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी निगरानी पेश नहीं कर सकता, पंचायती राज अधिनियम की धारा 61 के तहत एक अपील ऑथोरिटी होती है। प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की मिसल एक ही दिन में बनी हुई है, जिसमें पंचायत नियमों की पालना नहीं हुई है। चुकि जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध अप्रार्थी संख्या 2 ने नियमानुसार शुल्क जमा करवायी है, जिसके उपरान्त विधिनुसार कार्यवाही की गयी है। साथ ही प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्ड आबादी में नहीं है, यदि उक्त भूखण्ड में आबादी में नहीं होता तो पटवारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही, टी.पी. रिपोर्ट अथवा किस्म की रिपोर्ट पेश कर अप्रार्थी संख्या 2 को बेदखल करने कि कार्यवाही की जाती परन्तु ऐसा नहीं किया गया जिससे भी यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि मे ही जारी किया गया है। मिसल की आदेशिकाये यदि कम्प्यूटर से तैयार कि जाती है तो अप्रार्थी संख्या 2 की इसमें कोई गलती नहीं है, साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित तथ्य ग्राम पंचायत के नाम से है अप्रार्थी के नाम से नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी राजनैतिक दैष भावना को दर्शाता है।

प्रार्थी तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 सोहनलाल पुत्र हरिराम साटिया के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 25.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक बिना दिनांक का मकान/प्लॉट बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 22.10.2018 को मिसल कायम की गयी, जिसमें सचिव को नक्शा बनाने हेत निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है जिसमें ग्राम पंचायत, प्रार्थी तथा वार्ड पंचों का नाम पेन से अंकित है। राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप-22 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस पर न तो ग्राम पंचायत के आउटवर्ड नम्बर अंकित है और न ही किसी सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर व उनकी वल्दियत की जानकारी अंकित है। साथ ही मिसल के संलग्न जो बयान फार्म है वो भी निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप है जिस पर केवल एक अंगुष्ठ निशान है। उक्त बयान कब लिये गये के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन बयानफार्म पर नहीं है, जिससे उक्त बयान फार्म की वैधिकता जाहिर नहीं होती है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो नियमानुसार सही नहीं होने से खाजिर योग्य है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

पत्रावली के संलग्न ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (D) में यह स्पष्ट अंकित है सोहनलाल/हरिराम साटीया को नियम 157 के तहत खाली भूमि का पट्टा 200/–रूप्ये पर जारी किया गया जबकि इस खाली भूमि का पट्टा डी.एल.सी. दर से या निलामी प्रक्रिया से ही जारी किया जा सकता है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का आवासीय मकान नहीं बना होने पर भी पुश्तैनी मकान बताकर नियम 157 में विधिविरूद्ध जारी किया है। अतः उक्त पट्टा नियम विरूद्ध जारी होने के कारण निरस्त करवाने की अनुशंषा की जाती है। जिससे भी यह सुस्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध है, जिसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक बिना दिनांक का मकान/प्लॉट बनवाने हेतु प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया, जिसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम की गयी। सम्पूर्ण मिसल कम्प्यूटर टाईप है जिसमें ग्राम पंचायत, प्रार्थी तथा वार्ड पंचों का नाम पेन से अंकित है। आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जारी नोटिस पर आउटवर्ड नम्बर अंकित है, न तो चस्पानगी रिपोर्ट का अंकन है और न ही दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है, साथ ही बयान फार्म भी निर्धारित प्रारूप में कम्प्यूटर टाईप सुदा है। साथ ही ग्राम पंचायत की बैठक कार्यवाही दिनांक 06.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 2 (D) में भी यह स्पष्टतया अंकित है कि जैर निगरानी पट्टा नियम विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है, जिससे राजस्व हानि हुई है, जिसे निरस्त करवाने की अनुशंषा की है। लिहाजा जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 सोहनलाल पुत्र हरिराम साटिया के पक्ष में जारी संख्या 35 दिनांक 25.09.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 10/6/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली